



विकसित भारत
अभियान

कार्यालयमुख्यआयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटीएवंकेन्द्रीयउत्पादशुल्क (जयपुरपरिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur

फा. सं. GCCO/II/34/4/2025/ADMN/

दिनांक 3/7/2025

सेवा में,

प्रधान आयुक्त / आयुक्त,
सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय,
जयपुर/ जोधपुर/अलवर / उदयपुर / अंकेक्षण जयपुर /
अंकेक्षण जोधपुर / अपील्स जयपुर / अपील्स जोधपुर /
सीमा शुल्क जोधपुर (मुख्यालय जयपुर)

महोदय/महोदया,

विषय : निरीक्षक ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) की दिनांक 31.12.2010 को जारी संशोधित वरीयता सूची में संशोधन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय द्वारा जारी समसंख्यक पत्र दिनांक 04.06.2025 का अवलोकन करे जिसके अंतर्गत सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर में निरीक्षक ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) वर्ग की दिनांक 31.12.2010 की संशोधित वरीयता सूची को अग्रप्रेषित कर उक्त वरीयता सूची में किसी अधिकारी को आपत्ति होने पर 15 दिवस के भीतर इस कार्यालय को सूचित करने हेतु कहा गया था।

2. इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक 04.06.2025 द्वारा जारी निरीक्षक ग्रुप 'बी' (अराजपत्रित) वर्ग की दिनांक 31.12.2010 की संशोधित वरीयता सूची पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति / आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है, अतः उक्त जारी वरीयता सूची को अंतिम (final) समझा जाये।

3. तदनुसार निवेदन है कि इस पत्र को सभी सम्बंधित अधिकारियों जो कि आपके क्षेत्राधिकार में कार्यरत हो, के मध्य परिचालित (circulate) करवाने का श्रम करावे।

यह सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

Digitally signed by
Mahabir Singh Meena
Date: 03/07/2025
11:56:41
अपर आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त आयुक्त (सीसीओ), सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर।
2. वेबमास्टर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. सम्बंधित एसोसिएशनस/ गार्ड फाइल / नोटिस बोर्ड

नवकेन्द्रीयराजस्वभवन, स्टैच्यूसर्किल, सी-स्कीम, जयपुर - 302005(राजस्थान)

फोन : 0141-2385155; फैक्स: 0141-2385130, ईमेल: ccu-cexjpr@nic.in,

वेबसाइट: www.cgstjaipur.gov.in, ट्वीटर : @CGSTJAIPURZONE

